पत्र संख्या–न्याय–5(1)–रिट–इलाहाबाद– / 2021–22 / 1608 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 / 2(उ0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ ।
ज्वाइण्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

(वाद अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 22 मार्च, 2022**

विषय–मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना तत्काल कमिश्नर वाणिज्य कर को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कमिश्नर, वाणिज्य कर के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट टैक्स संख्या–348 / 2021 सर्वश्री अपारेन्ट मार्केटिंग प्रा0लि0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व तीन अन्य में महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक 05.03.2022 को पारित किया गया तथा उक्त को कमिश्नर वाणिज्य कर को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित करने का आदेश दिया गया। उक्त महत्वपूर्ण निर्णय को सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज के अधिकारियों द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जबकि मा0 न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों को उसी दिन उनके संज्ञान में लाया जाना चाहिए। यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों को उसी दिन कमिश्नर, वाणिज्य कर के संज्ञान में लाया जाएगा तथा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक आदेश की प्रति,उक्त का सारांश, महत्वपूर्ण निहित बिन्दु सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी भी न्यायिक आदेश में कमिश्नर वाणिज्य कर को कोई विशेष निर्देश दिये जाते हैं तो एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 / 2 ,उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज / लखनऊ उसे तत्काल कमिश्नर के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही करायेंगे। यदि किसी भी मामले में पैरवी में कमी, आदेश को समयान्तर्गत सूचित न करने अथवा न्यायिक आदेश के समयान्तर्गत अनुपालन न होने के कारण कमिश्नर वाणिज्य कर की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश मा0 न्यायालय द्वारा किये जाते हैं अथवा अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त हेतु सम्बन्धित अधिकारी की राजकीय कार्य में शिथिलता मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीया,
22-3-2022
(गीता सिंह)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि–1–समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सन्दर्भित न्यायिक निर्णय (प्रति संलग्न) के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।